तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांकः 155 /स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 28/03/2020

प्रति,

1. समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,
2. समस्त संभागायुक्त
3. समस्त कलेक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पुनःसंशोधित समेकित निर्देशों के पालन हेतु।

संदर्भः–1. मुख्य सचिव का पत्र क्रमांक 211/मु.स./2020 दिनांक 25/03/2020
2. सचिव, सा.प्र.वि. का पत्र क्रमांक 150/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 26/03/2020
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश कमांक 40–3/2020– DM-1 (A), दिनांक 24/03/2020
4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1 (A), दिनांक 25/03/2020
5. गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1 (A), दिनांक 27/03/2020

––00––

**संदर्भित पत्रों द्वारा** राज्य शासन एवं जिला स्तर से कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तथा इन प्रयासों से निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश एवं दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ पूर्व में जारी निर्देशों में **गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1 (A), दिनांक 27/03/2020 द्वारा आंशिक रूप से पुनःसंशोधन किया गया है।** अतः इस संबंध में संलग्न समेकित निर्देशों अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही की जाये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

28/3/20
(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांकः 156 /स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 28/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. श्री /सुश्री .....को सूचनार्थ एवं पालन हेतु,
18. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

**कोरोना वायरस महामारी COVID 19 के संक्रमण को रोकने हेतु भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश।**

1. भारत सरकार, भारत सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय बंद रहेगें।
   छूट प्राप्त कार्यालयः रक्षा, केन्द्रीय पुलिस बल, कोषालय, सार्वजनिक सुविधाएं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी,) आपदा प्रबंधन, विद्युत, पोस्ट ऑफिस, एन.आई.सी., अरली वारनिंग एजेंसियां,

* कोषालय में सम्मिलित है भुगतान एवं लेखा कार्यालय, वित्तीय सलाहकार तथा महालेखा नियंत्रक के मैदानी कार्यालय न्युनतम स्टॉफ सहित।
* सीमा शुल्क कार्यालय, जीएसटीएन, कम्पनी मामलों का मंत्रालय 21 रजिस्ट्री न्युनतम स्टॉफ सहित।
* भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट एवं संस्थाएं जैसेः NPCI, CCIL, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर तथा एकल प्रायमरी डीलर न्युनतम स्टॉफ सहित।

2. राज्य सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय बंद रहेगें।
   छूट प्राप्त कार्यालयः (1) पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपात कालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल
   (2) जिला प्रशासन एवं कोषालय
   * कोषालय में सम्मिलित है महालेखाकार के मैदानी कार्यालय
   (3) विद्युत, जल, स्वच्छता,
   (4) नगरीय निकाय–आवश्यक सेवाओं जैसे साफ–सफाई, जल प्रदाय इत्यादि के लिए न्युनतम स्टॉफ सहित

*(5) नई दिल्ली राज्यों के आवासीय आयुक्त कार्यालय, कोरोना संक्रमण नियत्रंण गतिविधियों के समन्वय तथा आंतरिक किचन व्यवस्था हेतु न्युनतम स्टॉफ सहित

*(6) वन कार्यालयः चिड़ीया घर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक मानव संसाधन सहित

*(7) समाज कल्याण विभाग की आवासीय संस्थाएं जिसमें बच्चों/निःशक्तजन/बेघर/वरिष्ठ नागरिक/महिलाएं/विधवा की देख–रेख हेतु संचालित हों, आबजरवेशन होम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था न्युनतम स्टॉफ सहित

**(8) न्युनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मलित एजेन्सीयों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेन्सीयां

**(9) मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडीयां

उपरोक्त कंडिका 1 व 2 में अंकित कार्यालय न्युनतम मानव संसाधन से संचालित किये जायें। शेष सभी अधिकारी/कर्मचारी निवास से कार्य करें।

* कोषालय से अभिप्राय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, वित्तीय सलाहकार

3. अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य संस्थान जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा एवं इक्युपमेंट दुकान, लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस इत्यादि संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत् स्टॉफ एवं सहायक सेवाएं संबंधी व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाये।

* वेटनरी अस्पताल, फार्मेसी (जन औषधी केन्द्र सहित) एवं दवा रिसर्च लैब

*गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1 (A), दिनांक 25/03/2020 द्वारा संशोधित
**गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1 (A), दिनांक 27/03/2020

Scanned with CamScanner

4. व्यवसायिक एवं निजी स्थापनाएं बंद रहेंगी।

छूट प्राप्त स्थापनाएः (1) दुकानें जिसमें राशन दुकान, पीडीएस दुकान, खाद्य, किराना, फल एवं सब्जी एवं दुध उत्पाद के बुथ, मीट एवं मछली, जानवरों के चारे संबंधित दुकानें। यद्यपि जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को कम करने के लिए घर पर ही डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

*बीज एवं कीटनाशक की दुकानें

**** खाद/उर्वरक की दुकानें**

(2) बैंक, बीमा कार्यालय तथा एटीएम

(3) प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया,

(4) टेलीकॉम, इन्टरनेट सेवाएं, प्रसार एवं केबल टीवी सेवाएं। आई. टी. एवं आई.टी. आधारित सेवाएं न्युनतम आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक निवास से कार्य के माध्यम से संचालित की जाये।

* बैकिंग सेवाओं हेतु आई.टी. वेन्डर, बैंक मित्र तथा ए.टी.एम. संचालन व कैश मैनेजमेंट एजेसीयां

(5) ई–कामर्स के माध्यम से खाद्य, दवाईयां, मेडिकल उपकरण सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी

(6) पेट्रोल पम्प, एलपीजी, गैस एजेन्सी एवं संबंधित भण्डारण केन्द्र

(7) विद्युत उत्पादन, ट्रान्समिशन एवं वितरण संबंधी सेवाएं/कार्यालय

(8) सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं

* डाटा एवं कॉल सेन्टर शासकीय गतिविधियों हेतु

(9) कोल्ड स्टोर एवं भंडार गृह सेवाएं

**** किसानों तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य**

(10) निजी सुरक्षा सेवाएं

**** कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर**

अन्य सभी स्थापनाओं में वर्क फ्राम होम लागू किया जायें

5. औद्योगिक स्थापनाएं बंद रहेगीं।

छूट प्राप्तः (1) *आवश्यक वस्तुओं जिनमें दवाईयां, दवा उत्पाद, मेडिकल उपकरण, दवाईयों से संबंधित कच्चे माल एवं इन्टरमिडिएट उत्पाद के विनिर्माण करने वाली युनिटस

(2) राज्य शासन की अनुमति से ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनमें उत्पादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो

*(3) कोयला एवं खनिज उत्पादन, परिवहन, मायनिंग हेतु संबंधी विस्फोटक प्रदाय सहित अन्य गतिविधियां

*(4) ऐसी इकाईयां जो खाद्य पदार्थ, दवाई, मेडिकल उपकरण हेतु पैकेजिंग मटेरियल विनिर्माण करती हों

****(5) खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज के विनिर्माण एवं पैकेजिंग यूनिट**

6. सभी एयर लाईन, रेल्वे, सड़क परिवहन सेवाएं स्थगित रहेगीं।

छूट प्राप्तः (1) आवश्यक वस्तुओं का परिवहन

(2) कानुन व्यवस्था, फायर बिग्रेड एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं

*(3) कार्गो, राहत कार्य एवं फसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेल्वे, एयरपोर्ट, पोर्ट एवं उनसे संबंधित संस्थाओं का संचालन पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, खाद्य पदार्थ, मेडिकल सप्लाई हेतु परिवहन

*(4) अंतर्देशीय एवं निर्यात हेतु अन्तर राज्यीय माल परिवहन परिवहन

****(5) फसल बोआई एवं कटाई के संबंध में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि/हार्टिकल्चर मशीनरी उपकरणों का राज्य के भीतर एवं अंर्तराज्यीय परिवहन**

7. हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेगी।

छूट प्राप्तः (1) होटल, होमस्टेय, लॉज तथा मोटल जिनमें लॉकडाउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति, पर्यटक, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधी स्टॉफ रूके हो

(2) संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से सम्पर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने हेतु चिन्हीत स्थापनाएं।

*गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1 (A), दिनांक 25/03/2020 द्वारा संशोधित

**गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश कमांक 40–3/2020–DM-1 (A), दिनांक 27/03/2020

Scanned with CamScanner

8. सभी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान बंद रहेगें।
9. सभी प्रकार के पूजा स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेगें। किसी प्रकार के सामूहिक धार्मिक आयोजनों हेतु अनुमति न दी जाये।
10. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेल–कुद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे।
11. अंतिम संस्कार हेतु 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
12. ऐसे सभी व्यक्ति जो 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आये है तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनकों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/चिकित्सकों द्वारा निश्चित अवधि हेतु घर अथवा चिन्हीत स्थल पर आईसोलेशन में रहने के निर्देश दिये गये है, के द्वारा आदेश का पालन न करने पर आई.पी.सी. की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उत्तदायी होगें।
13. जहां पर भी कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लॉकडाउन में छूट प्रदाय की गई है, उन सभी संस्थानों/नियोक्ताओं को कोरोना वायरस से बचाव तथा सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने के उपायों जैसे कि समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बतायें जाये, का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
14. कोरोना नियत्रंण के निर्देशों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में कार्यपालिक दंडाधिकारियों को क्षेत्र निर्धारित करते हुए इन्सीडेन्ट कमान्डर के रूप में तैनात करेगें जो अपने निर्धारित क्षेत्र में निर्देशों के पालन हेतु जिम्मेदार होगें। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी इन्सीडेन्ट कमान्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगें। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा पास जारी किया जायेगा।
15. सभी प्राधिकारी ध्यान दे कि प्रतिबंध मुख्यतः लोगों के आवागमन के संबंध में न की आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के संबंध में।
16. इन्सीडेन्ट कमान्डर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगें कि अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहे।
17. इन कोरोना नियत्रंण निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही संबंधित व्यक्तियों के विरूद्व की जा सकेगी।
18. उपरोक्त कोरोना नियत्रंण निर्देश संपूर्ण देश में दिनांक 25 मार्च से प्रारंभ होकर आगामी 21 दिन तक के लिए लागू रहेंगे।

Scanned with CamScanner

**No. 40-3/2020-DM-I(A)**

**Government of India**
**Ministry of Home Affairs**

North Block, New Delhi-110001
Dated 27th March, 2020

## ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 24th March, 2020 and 25th March and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues the 2nd Addendum to the guidelines, as Annexed to the said Order issued to Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities with the directions for their strict implementation.

27/03/2020
**Home Secretary**

To

1. **The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India**
2. **The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories**

   (As per list attached)

*Copy to*:

i. All members of the National Executive Committee.

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Scanned with CamScanner

**No. 40-3/2020-DM-I(A)**
**Government of India, Ministry of Home Affairs**

**Subject: 2nd Addendum to Guidelines annexed to the Ministry of Home Affairs Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated24.03.2020**

**A. Addition of sub clause (h) & (i) in exceptions to Clause 2**

h. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations.

i. 'Mandis' operated by the Agriculture Produce Market Committee or as notified by the State Government.

**B. Sub-clause (a) in exceptions to Clause 4** includes shops of fertilizers.

**C. Addition of sub clause (I) & (j) in exceptions to Clause 4:**

**i.** Farming operations by farmers and farm workers in the field.

j. 'Custom Hiring Centres (CHC)' related to farm machinery.

**C. Addition of SubClause (e) in exceptions to** Clause 5

e. Manufacturing and packaging units of Fertilisers, Pesticides and Seeds.

**D. Addition of** SubClause (e) **in exceptions to** Clause 6

e. Intra and inter-state movement of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture/horticulture implements.

27/03/2020
**Home Secretary**

Scanned with CamScanner